



व्यक्तिगत संपत्ति ज़मानत रजिस्टर

अप्रैल April 2015

क्या आप पुरानी (सेकंड हैंड) कीमती चीज़ें खरीद रहे/रही हैं?

खरीदने से पहले पीपीएसआर PPSR चेक कर लें कि उपयोग में लाई जा चुकी कार, स्टॉक, उपकरण, मशीनें, या नाव जैसा कीमती सामान ऋण मुक्त तथा पुनः कब्जे में लेने के लिए सुरक्षित है।

क्या आप अपने ग्राहकों को मालिकाना हक बनाये रखने जैसी शर्त पर कीमती सामान बेच रहे/रही हैं या कीमती सामान पट्टे पर दे रहे/रही हैं?

कीमती सामान पर अपना हित पीपीएसआर PPSR में दर्ज करवाने के बाद यदि ग्राहक आपको भुगतान नहीं करता या दिवालिया हो जाता है तो आप उसकी वापसी का दावा कर सकते/सकती हैं।

व्यक्तिगत संपत्ति क्या है?

व्यक्तिगत संपत्ति में आम तौर पर भूमि, भवन और फिक्सचर (उपस्कर) को छोड़कर सभी प्रकार की सम्पत्तियां शामिल हैं। व्यक्तिगत संपत्ति के सामान्य उदाहरण हैं—मशीनें, कारें, नाव, फसलें, पशुधन तथा उपकरण। बौद्धिक सम्पदा तथा वित्तीय संपत्तियां जैसे शेयर आदि सूक्ष्म परिसंपत्तियां भी इनमें शामिल हैं।

पीपीएसआर

व्यक्तिगत संपत्ति ज़मानत रजिस्टर (PPSR पीपीएसआर) ऑस्ट्रेलियाई सरकार का राष्ट्रीय 'ऑन-लाइन' रजिस्टर है जिसमें खरीदारों, विक्रेताओं एवं वित्तीयकों द्वारा नियमित रूपसे उपयोग में लाये जा रहे सामान और अन्य व्यक्तिगत संपत्ति में ज़मानती हित दर्ज हैं। खरीदार पीपीएसआर PPSR में यह जाँच कर सकते हैं कि जो कीमती पुराना सामान वे खरीदना चाहते हैं वह ऋण-मुक्त है और उसपर पुनः कोई कब्जा नहीं कर सकता है। इसमें मशीन, उपकरण, वाहन, व स्टॉक शामिल है। खरीद से पहले उक्त जांच-पड़ताल आसानी से व तुरंत हो जाती है और इसमें लागत भी कम आती है।

जो कारोबार कीमती सामान को इस शर्त पर बेचते हैं कि माल पर उनका मालिकाना हक बना रहेगा या कीमती सामान को पट्टे पर देते हैं उन्हें अपने हित पीपीएसआर में दर्ज कराने चाहिए। जिस माल के लिए भुगतान न मिला हो उसके लिए हित को दर्ज करवाने से ऋण की वसूली में तब सहायता मिलती है जब ग्राहक उसका भुगतान नहीं करता या वह दिवालिया हो जाता है।

पीपीएसआर PPSR का प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह 24/7 सुलभ 'ऑन-लाइन' सेवा है तथा जाँच के परिणाम तुरंत मिल जाते हैं। जांच कराने तथा सामान या अन्य प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति पर अपना हित दर्ज करवाने का शुल्क बहुत कम है।

क्या यह नया है?

व्यक्तिगत संपत्ति ज़मानत रजिस्टर अब ऑस्ट्रेलिया में व्यक्तिगत संपत्ति में हितों का एकमात्र राष्ट्रीय रजिस्टर है।

पीपीएसआर PPSR ने कामनवेल्थ, राज्यों और टेरिटोरियों के सभी व्यक्तिगत संपत्ति ज़मानत रजिस्ट्रों का स्थान ले लिया है जैसे कि न्यू साउथ वेल्स रजिस्टर ऑफ़ एनकम्बर्ड व्हीकल्स (आरइवीज़ REVs) तथा एएसऑयसी ASIC रजिस्टर ऑफ़ कंपनी चार्जेंज तथा रजिस्टर्स ऑफ़ बिल्स ऑफ़ सेल्स एंड स्टॉक मार्गेज जैसे कई और भी हैं। 30 जनवरी 2012 को जब नया राष्ट्रीय रजिस्टर शुरू हुआ तब राज्यों एवं टेरिटोरियों के करीब पचास लाख मौजूदा रजिस्ट्रों को इसमें अंतरित किया गया।

व्यावसायिक सलाह लें

व्यक्तिगत संपत्ति की ज़मानतें कई तरह से आपके कारोबार को प्रभावित कर सकती हैं। जो व्यावसायिक कारोबारी सलाहकार आपके कारोबार को समझता है उसकी सलाह लेने पर विचार करें।

हमसे संपर्क कैसे करें?

व्यक्तिगत संपत्ति ज़मानत रजिस्टर
वेबसाइट: www.ppsr.gov.au
ई-मेल: enquiries@ppsr.gov.au
टेलीफ़ोन: 1300 007 777 (1300 00 PPSR)
कार्यसमय (AEST और AEDT): <ul style="list-style-type: none">• सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8.30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक• शनिवार एवं राष्ट्रीय/सार्वजनिक छुट्टियों के दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक क्रिसमस/नव-वर्ष अवधि के दौरान कार्यालय समय जानने के लिए हमारी वेबसाइट देखें।

अन्य भाषाओं में सहायता

अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं में जानकारी www.afsa.gov.au पर मिलेगी।

यदि आपको अंग्रेज़ी बोलने या समझने में दिक्कत हो तो आप अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (टीआइएस) नेशनल को 131 450 पर स्थानीय कॉल की दर से फ़ोन कर सकते/सकती हैं। टीआइएस 170 से भी अधिक भाषाओं में सप्ताह में सातों दिन 24सौ घंटे उपलब्ध है।